11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी का आवेदन पत्र अधीन आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश आज दिनांक 18.01.2016 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

—: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :—

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र 27/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मुन्छीराम पुत्र जगन्नाथ जाति राव निवासी कुम्हारी दरवाजा के अन्दर नागौर।		1. मनुड़ाराम पुत्र नेनाराम जाति सांसी निवासी ताऊसर तहसील व जिला नागौर 2. मुन्नीराम पुत्र घासीराम जाति नायक निवासी ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 3. ओमप्रकाश पुत्र केवलराम निवासी पांचलासिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर 4. अजीत पुत्र किरताराम जाति नायक निवासी ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 5. उप पंजीयक नागौर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थित अधिवक्ता :— प्रार्थी श्री बाबूलाल खोजा
अप्रार्थीगण श्री मेघराज सोनी

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा
आवेदन पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी 1908

आदेश

दिनांक :— 18.01.2016

प्रार्थी की ओर निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :—

1 यह है कि, प्रार्थी ने उक्त मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र तथाकथित अनुबंध वास्ते विक्रय दिनांक 29.10.2012 के आधार पर ग्राम सिंघाणी के खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा व ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है।

2. यह है कि, तथाकथित अनुबंध वास्ते विक्रय दिनांक 29.10.2012 से उसमें वर्णित खेत ग्राम सिंघाणी के खसरा नम्बर 22 की खातेदारी का हस्तान्तरण प्रार्थी को नही होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नही है जिसके तहत विक्रय हेतु अनुबंध के आधार पर किसी को खातेदारी दे दी जाये या खातेदारी की घोषणा उसके पक्ष में कर दी जाये। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित न्याय सिद्धान्तो द्वारा स्थिति स्पष्ट है कि विक्रय हेतु अनुबंध या पॉवर ऑफ ऍटार्नी से किसी व्यक्ति के अधिकार दूसरे

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित नही होते है इसलिए उपरोक्त परिस्थितियो में प्रार्थी को कथित इकरारनामा दिनांक 29.10.2012 के आधार पर ग्राम सिंघाणी के खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी घोषित कराने का बिनायवाद ही उत्पन्न नही होता है। वाद व प्रार्थना पत्र के अभिवचनो के अनुसार भी विधिनुसार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा का बिनायवाद पैदा नही होता है बिनायवाद के अभाव में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र वर्जित है व निरस्त होने योग्य है।

3. यह है कि, उक्त कथित इकरारनामा दिनांक 29.10.2012 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी निष्पादित नही किया गया उक्त कथित इकरारनामा कूटरचित है, अपर्याप्त मुद्रांक पर है, इसका पंजीयन होना आवश्यक है जो अपंजीकृत है इस कथित इकरारनामा में वर्णित कोई सौदा अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ नही किया न कोई राशि प्राप्त की, उक्त खेत पर प्रार्थी का न तो कभी कब्जा था न है सभी तथा असत्य कथन किये है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 या अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिनायवाद पैदा नही होती है।

4. यह है कि, उक्त कथित इकरारनामा दिनांक 29.10.2012 के आधार पर प्रार्थी को केवल उसकी विशिष्ट अनुपालना कराने का वाद सक्षम सिविल न्यायालय में करने का ही बिनायवाद पैदा होता है जो आज तक नही किया है माननीय न्यायालय हाजा को विक्रय हेतु अनुबंध के आधार पर उसकी विशिष्ट पालना में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देने या उसके पक्ष में घोषित करने का श्रवणाधिकार नही है इस तरह का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के किसी भी प्रावधान के तहत पोषणीय नही है।

5. यह है कि, वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनानुसार प्रार्थीगण का वाद बिना बिनायवाद के है जो विधिनुसार वर्जित है न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र का नही है सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है इसलिए इसी स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद व प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी मुनडा की ओर निम्न प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1. यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 1 सही है।
2. यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि खसरा नम्बर 22 प्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से खरीद सुदा है और अप्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत का प्रार्थी से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान किया है व कब्जा प्रार्थी को सोपा गया है। जिससे मौके पर आज दिन कब्जा काश्त प्रार्थी का रहता चला आया है। उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा खरीदसुदा व कब्जा सुद होना साबित करने के लिए आवेदन के साथ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया हुआ इकरारनामा पेश किया हुआ है और प्रार्थी अपनी खरीद सुदा व कब्जा सुदा भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का व सुरक्षित रखने का कानूनी रूप से अधिकारी है। विधि में प्रावधानो के माफिक आवेदन पेश किया है। प्रार्थी द्वारा खरीदसुदा व कब्जा सुद भूमि का अप्रार्थी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में बेचान करने व प्रार्थी को मौके पर बेदखल करने की धमकियां देने से

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आवेदन/वाद उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र किसी भी तरह से वर्जित नही है जबकि विधि के प्रावधानो के माफिक है और अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कब्जा सौप दिया गया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 3 में गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि अप्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 29.10.2012 को इकरारनामा निष्पादित किया गया है और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कब्जा काश्त सोपा गया था जो कब्जा आज दिन मौके पर प्रार्थी का रहता चला आया है। इकरारनामा किसी भी तरह से कूटरचित नही है। अगर कूटरचित होता तो फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जो सकता था जो आज दिन तक दर्ज नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में कूटरचित दस्तावेज नही कहा जा सकता और इकरारनामा पंजीयन होना आवश्यक नही है। बल्कि अप्रार्थी ने प्रार्थी की खरीद सुदा सम्पति से वंचित रखने की गरज से व प्रतिफल की राशि हडपने की नीयत से सारे झूठ व बनावटी कथन दर्ज किये है जो सारे कथन वाद में तनकियति कायम होने से वाद साक्ष्य मेरिट पर तय होने वाले तथ्य है। ऐसी स्थिति इस स्टेज पर प्रार्थी का आवेदन खारिज नही किया जा सकता। क्योकि आदेश नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो बहुत सीमित है।

4 यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि विवादित भूमि कृषि भूमि है जो प्रार्थी के द्वारा खरीद सुदा कब्जासुद होना इकरारनामा से प्रमाणित है। खरीद सुदा व कब्जा सुद कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन विधि के किसी भी प्रावधानो के खिलाफ नही है जिससे अप्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है।

5 यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थी का आवेदन कृषि भूमि की खातेदारी के संबंध में है। जिससे माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और वाद हेतु के प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में वर्णित किया गया है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 22 मौजा सिंघाणी अप्रार्थी मनुडा वगैरा की खातेदारी में रेकर्ड से साबित होता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र एक लिखित एवं बिना पंजीयन किये इकरारनामे के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के अभिवचनो के अनुसार विधि अनुसार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा का बिनायवाद पैदा नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना बिनायवाद के है। जो विधि अनुसार वर्जित है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र कथित इकरारनामा के आधार पर खातेदारी हक एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। जो बार्ड बाई लॉ है। प्रार्थी ने एक दीवानी विविध प्रकरण 34/2014 ओमप्रकाश बनाम बनुडा का मुंशीप न्यायालय नागौर में प्रस्तुत किया। जो दिनांक 19.04.2014 को प्रार्थी का अन्तमि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया था। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र (बार्ड बाई लॉ) विधि विरूद्ध है। उपरोक्त विवेचन से अप्रार्थी संख्या 1 का आवेदन पत्र अधीन आदेश 7 नियम

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर